□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□□ □□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□: 691
05 □□□□□, 2021 □□ □□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

□□□ख्□ □□□त्र□

691. श्री अजुन □□□ □□□□ :
श्□ □□□□ □□□□□□□ :
श्□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ :
□□. □□□ □□□□□□□ :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्□ □□□□ □□□□ □□□□ :
श्□ □□□□□ □□□ □□□ :
और दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ :
श्□ □□□□□□□ □□□□□□ :
श्री सुमेधानंद सरस्वती :
श्□ □□□□□ □□□□□□ श्□□□:
श्□ □□□□ □□□ :
श्□ □□□□□ □□□:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश म बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कदम उठाए ह/ कदम उठाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और विगत पाँच वर्षों के दौरान इस प्रयोजनाथ कितनी धनराशि आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई है;

(ख) क्या देश म जनसंख्या विस्फोट रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त नीति के दीघकालीन उद्देश्य क्या ह और नीति संबंधी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए ह;

(घ) यदि नहीं, तो देश म जनसंख्या विस्फोट नियंत्रित करने और रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति या योजना कब तक तैयार किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त नीति के कायान्वयन की निगरानी के लिए कोई एजसी है;

(च) क्या सरकार का उन राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि के लक्ष्य को प्रतिस्थापन स्तर से नीचे तक लाया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या खराब प्रदशन करने वाले राज्यों म परिवार नियोजन सेवाएं वितरित करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

□त्त□

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्र□ (श्□ □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) से (ग): सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कायक्रम कायान्वित किया है जो देश म जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उद्देश्य के साथ लक्ष्य रहित दृष्टिकोण के माध्यम से लाभार्थियों को स्वैच्छिक और सूचित विकल्प प्रदान करता है।

वष 2000 म राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निरूपण वष 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के दीघकालिक उद्देश्य से किया गया है।

राष्ट्रीय परिवार नियोजन कायक्रम के तहत सेवाओं को वृहद श्रृंखला प्रदान करते हुए विभिन्न पहल को गई ह:

1. □□ □□ □□□□□□ □□□□ल□: वतमान गभ निरोधकों को श्रृंखला म कंडोम, संयुक्त गोलियां, आपात गभनिरोधक गोलियां, अंतरगभाशयी गभनिरोधक डिवाइस (आईयूसीडी) और इंजेक्टेबल गभनिरोधक (अंतरा प्रोग्राम) तथा सटक्रोमेन (छाया) नामक दो गभ निरोधकों को भी शामिल किया गया है।
2. प्रसवोत्तर पश्चात अंतरगभाशयी गभनिरोधक डिवाइस (पीपीआईयूसीडी) पहल योजना के तहत प्रसवोत्तर पीपीआईयूसीडी सेवा प्रदान को जाती है।
3. □ध□□□□□ स□□□□□□□□ क्ष□□□□□ □□□□□ के तहत बंध्याकरण करवाने के लिए लाभार्थी को मेहनताने को हानि के लिए क्षतिपूर्ति और सेवा प्रदाता को भी प्रतिपूर्ति प्रदान को जाती है।
4. राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना (एनएफपीआईएस) जिसके अंतगत व्यक्ति को मृत्यु को संभावना, अड़चने और बंध्याकरण के विफल होने पर क्षतिपूर्ति है।
5. प□□□□ □□□□□□ □□□□ प्र□□□ □□□□ प्र□□□□ (□□□□-□□□□□□□□□): स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सामग्री के सुचारू पूवानुमान, खरीद और वितरण को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सभी स्तरों म परिवार नियोजन सामग्रियों के सहज पूवानुमान, प्रापण और वितरण को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रतिबद्ध सॉफ्टवेयर शुरू किया गया है।
6. □□□□ प□□□□□ □□□□□: सात उच्च संकेन्द्रण राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम म 3 एवं अधिक को कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वाले जिलों म गभ निरोधक तथा परिवार नियोजन को सुलभता म पयाप्त वृद्धि करने हेतु मिशन परिवार विकास प्रारंभ किया है।
7. लाभार्थियों को □शाकार्मियों द्वारा गभनिरोधकों को □□ □□ प्र□□□□□ □□□□□ चलायी जा रही है ।
8. समुदाय म उपभोग हेतु आशा कर्मियों को औषधि किट म गभ जांच किट के प्रावधान संबंधी योजना है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु निधि आवंटन और उपयोगिता का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों वार विवरण अनुलग्नक म है।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय परिवार नियोजन कायक्रम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के समग्र सिद्धांत और इसके कायान्वयन के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहायता और मागदशन प्रदान करने के लिए उनके साथ मिलकर काय कर रहा है।

(च): वतमान म सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) निम्नलिखित योजनाएं परिवार नियोजन सेवाओं के प्रावधान हेतु निजी प्रतिभागिता प्रदान करती ह:

1) निजी सुविधा केन्द्रों/प्रदाताओं का प्रत्या□□/□□□□द्ध □□□□: निशुल्क बंध्याकरण सेवाओं को प्रदानगी हेतु राज्य/जिला गुणवत्ता क्षतिपूर्ति उप समिति के माध्यम से निजी सुविधा

केन्द्रों/प्रदाताओं का प्रत्यायन/पैनलबद्ध किया जाता है। प्रत्यायित सुविधा केन्द्रों को क्षतिपूर्ति कवरेज भी प्रदान की जाती है।

2) क[illegible] [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] सात मिशन परिवार विकास राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम म विस्तृत, अल्पसेवित और भौगोलिक रूप से दुगम क्षेत्रों म प्रत्यायित संगठनों की मोबाइल टीमों के माध्यम से परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करती है।

[illegible] (2015-16 [illegible] 2019-20) के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत आवंटित और उपयोग [illegible] का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-[illegible] ([illegible])

[illegible]	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	164.4	76.0	222.4	100.0	300.5	104.0	262.4	167.6	267.2	253.2
आंध्र प्रदेश	11107.2	8705.2	9785.4	8255.8	7914.7	5179.8	6273.1	5551.8	10152.0	6324.5
अरुणाचल प्रदेश	3830.5	3138.6	1380.2	873.3	1906.2	808.3	1510.8	796.3	1123.6	880.5
असम	10653.1	4476.5	12194.2	10890.3	12629.0	7863.9	13892.9	11034.7	11969.4	8693.1
बिहार	22714.6	15527.7	24690.2	13361.2	28396.3	15927.7	36894.1	19813.3	37262.8	25536.8
चंडीगढ़	794.7	750.3	196.3	82.4	218.6	119.1	139.7	134.5	91.4	83.1
छत्तीसगढ़	7061.4	3262.9	8248.2	5884.4	10018.4	5830.2	9410.5	6823.2	11090.7	8381.2
दादरा और नगर हवेली	167.1	71.0	204.6	119.5	202.3	99.5	216.6	112.4	154.1	103.8
दमन और दीव	96.8	53.2	96.7	50.2	118.4	52.5	109.9	67.5	74.4	45.4
दिल्ली	1639.6	1199.0	1983.2	726.1	1944.0	1123.4	1925.7	731.1	1765.0	743.3
गोवा	672.7	468.1	218.4	104.3	366.1	130.7	321.4	170.0	257.6	179.9
गुजरात	10837.7	9537.5	11718.7	11525.6	11659.9	9734.8	12505.7	11142.5	12555.7	11434.3
हरियाणा	5156.8	3665.6	4945.0	3049.5	4999.2	3264.4	5917.8	4050.8	5372.0	4086.5
हिमाचल प्रदेश	2201.8	1342.5	2573.6	2001.3	2704.4	1467.5	2739.3	2536.3	2286.8	1878.6
जम्मू और कश्मीर	2834.9	2074.4	3997.1	2072.0	3077.3	1948.0	3885.5	2651.9	4599.1	2587.2
झारखंड	9590.3	4966.9	7841.7	4627.4	10436.8	5665.4	11702.0	7024.2	11882.2	7278.9
कनाटक	10339.4	6170.9	14052.3	5336.3	13267.9	8904.1	14882.0	9924.4	12794.6	9795.2
केरल	3200.9	2363.3	2284.4	1828.2	3257.7	2164.5	5200.4	2992.3	4876.7	2842.4
लक्षद्वीप	72723.7	58904.2	52.5	15.8	73.1	19.9	62.4	27.0	56.3	27.7

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20	
	[illegible]	प्र□क□	[illegible]	प्र□क□	[illegible]	प्र□क□	[illegible]	प्र□क□	[illegible]	प्र□क□
मध्य प्रदेश	17286.0	18032.3	25711.8	19854.3	25188.5	18265.6	28619.2	20036.7	26878.5	20762.0
महाराष्ट्र	19776.5	12754.6	19998.6	11543.3	20357.2	9668.2	19541.7	16018.5	22386.1	11315.0
मणिपुर	985.3	558.6	1017.4	333.6	1159.0	432.7	1014.5	734.9	1040.8	728.5
मेघालय	625.5	368.1	1768.6	747.8	1127.3	788.8	1257.1	668.3	1254.7	827.7
मिजोरम	692.4	468.6	727.3	398.5	751.6	402.1	544.0	425.5	549.8	311.4
नागालड	607.6	430.2	1099.6	527.3	943.7	301.4	918.2	699.0	756.3	474.6
ओडिशा	9567.5	7738.7	11120.9	8214.3	12060.6	7587.6	13487.0	9388.5	13901.0	11744.1
पुडुचेरी	117.1	72.9	188.9	139.8	252.0	157.6	273.6	157.7	277.3	175.6
पंजाब	6255.1	5182.8	4337.0	3537.1	3611.7	2068.5	5487.3	4110.1	4398.5	3344.7
राजस्थान	20459.0	14901.4	20418.4	16927.9	23713.7	13206.2	22956.3	19909.4	24377.9	18256.4
सिक्किम	503.0	397.5	259.5	211.6	302.2	220.8	284.4	250.7	225.3	125.7
तमिलनाडु	14411.3	7725.7	10635.3	11232.3	11019.4	6798.6	11445.9	12375.4	11571.5	11150.5
तेलंगाना	32263.9	23607.8	9599.0	2941.6	11424.7	1922.3	6334.0	5462.3	7665.3	3488.9
त्रिपुरा	5636.7	4349.9	1364.6	780.5	1839.8	997.9	1410.8	1059.9	1346.2	785.8
उत्तर प्रदेश	48717.2	30411.2	52775.6	21733.8	54054.9	31006.5	53174.4	35428.9	45681.9	31568.4
पश्चिम बंगाल	2418.3	1848.1	2391.5	1942.0	2465.6	1889.7	2760.5	2339.3	2250.1	1897.1

[illegible]:

- उपयुक्त आंकड़े राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोट किए गए एफएमआर के अनुसार ह।
- व्यय म कद्र निगमन, राज्य निगमन से व्यय और वष के आरंभ म अव्ययित बकाया शामिल है।
- उपयुक्त डाटा म स्थायी पद्धति, अंतराल पद्धति, प्रशिक्षण, आईईसी, परिवार नियोजन उपकरण और औषधि, मानव संसाधन, योजना और निगरानी, आशा कर्मी, अन्य के तहत गतिविधियां शामिल है।

*****